



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP20893302730164W

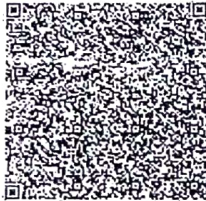
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IV. 30/24

CC Name-Harinarayan Kumar, Code-UP
C Address-Hata, Kushinagar, Pin-247923
Mr. 208 Tehsil & District-Hata, Kushinagar

Certificate No. : IN-UP20893302730164W
 Certificate Issued Date : 14-Oct-2024 01:13 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14569204/ HATA/ UP-KSN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1456920438716089075943W
 Purchased by : HARINARAYAN SO PARMAHANS
 Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of
 Property Description : MAUJA DUMARI SAWANGIPATTI TAHSIL HATA KUSHINAGAR
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : HARINARAYAN SO PARMAHANS
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : HARINARAYAN SO PARMAHANS
 Stamp Duty Amount (Rs.) : 1,200
 (One Thousand Two Hundred only)



Please write or type below this line

IN-UP20893302730164W

H/w.

PRINCIPAL

PARAMHANS PUBLIC SCHOOL (P.P.S.)
HATA-KAPTANGANJ ROAD, BELVARA
MOHAMMADABADपरमहंस पब्लिक स्कूल चैरटेबल ट्रस्ट
ग्राम व पोस्ट दुमरी स्वांगी पट्टी, हाटा, कुशीनगर (30890)(हरिनारायण)
प्रबन्धक

0018731811

Statutory Alert

The authenticity of this e-Stamp certificate should be verified at www.echilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding
 Corporation of India. This Certificate and as available on the website & Mobile App renders it invalid.
 The validity of this e-Stamp certificate is on the basis of the certificate

2



**एक सामान्य चौरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्ट डीड
परमहंस पब्लिक स्कूल (पी०पी०एस०)
चौरिटेबल ट्रस्ट के घोषणा पत्र की डीड**

जन चौरिटेबल ट्रस्ट की यह डीड, जो कि 29 दिसम्बर 2021 को श्री हरिनारायण पुत्र स्व० परमहंस ग्राम व पोस्ट-डुमरी स्वांगीपट्टी, थाना-हाटा, जनपद-कुशीनगर उ०प्र० पिन कोड-274206 जिन्हे कि संस्थापक/प्रबन्धक कहा जायेगा (इस डीड में इनके कार्यपालक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि उस सीमा तक शामिल माने जायेंगे, जब तक कि उन्हे इस डीड से बाहर न किया जाय या सन्दर्भ के विरुद्ध हो), एक पक्ष के रूप रहेंगे।

क्र०सं०	नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	पता	पद
1.	श्री हरिनारायण	स्व० परमहंस	65 वर्ष	ग्राम व पोस्ट-डुमरी स्वांगीपट्टी, थाना-हाटा, जनपद-कुशीनगर पिन कोड-274206	संस्थापक/प्रबन्धक
2.	श्री अनिल कुमार	श्री हरिनारायण	36 वर्ष	ग्राम व पोस्ट-डुमरी स्वांगीपट्टी, थाना-हाटा, जनपद-कुशीनगर पिन कोड-274206	उप प्रबन्धक
3.	श्रीमती उर्मिला देवी	श्री हरिनारायण	58 वर्ष	ग्राम व पोस्ट-डुमरी स्वांगीपट्टी, थाना-हाटा, जनपद-कुशीनगर पिन कोड-274206	

उक्त तालिका के उल्लिखित समस्त व्यक्तियों को संयुक्त रूप से ट्रस्टी माना जायेगा (इसका आशय यह है कि उक्त ट्रस्टीगण, जब तक कि उन्हे इस डीड से बाहर न किया जाय, या वर्तमान सन्दर्भ के विरुद्ध न हो) एवं अनिल कुमार के उत्तराधिकारी इस ट्रस्ट के सदस्य होंगे।

जहाँ कि "पूर्त प्रयोजन" (सेटलर) जनहित के उद्देश्य से एक ट्रस्ट स्थापित करने का इच्छुक है।

जहाँ कि ट्रस्टीगण के अनुरोध पर इस पर इस ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टीगण के रूप में कार्यरत होने को सहमत है, और इस ट्रस्ट की डीड के एक पक्ष के रूप में उनकी पृष्ठ भूमि प्रमाणित है।

जहाँ कि इस चौरिटेबल ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियम शर्तें घोषित करना आवश्यक है जो कि इस डीड के नियमों के अधीन बनाई गयी है।

इस ट्रस्ट की डीड का घोषणा पत्र निम्न प्रकार से है।

1. यह कि अपनी पूर्व कथित इच्छा को प्रभावी करने हेतु ट्रस्टीगण को पचास हजार रुपये दिये इस धनराशि को यहाँ ट्रस्ट फण्ड कहा जायेगा या माना जायेगा, न्यास के पास वर्तमान समय में उक्त ट्रस्ट फण्ड के अलावा कोई अन्य चल या अचल सम्पत्ति नहीं है। जिसमे नकद तथा किसी प्रकार की सम्पत्ति या किसी भी प्रकार निवेश, जिसमें कि यह धनराशि परिवर्तित की गयी हो या समयान्तर में उसका स्वरूप एक निवेश से दूसरे रूप में बदल रहा हो तथा ट्रस्टीगण से सम्बन्धित हो) तथा ट्रस्टीगण का इस ट्रस्ट फण्ड पर पूरा अधिकार व नियंत्रण रहेगा जो कि इस डीड में उल्लिखित शक्तियां, उपबन्धों समझौता, एवं घोषणा पत्र के अधीन होगा।

PRINCIPAL
PARAMHANS PUBLIC SCHOOL (P.P.S.)
HATA-KAPTANGANJ ROAD, BELVASUDHARA
AM...

(Signature)

परमहंस पब्लिक स्कूल चौरिटेबल ट्रस्ट
ग्राम व पोस्ट डुमरी स्वांगी पट्टी, हाटा, कुशीनगर (उ०प्र०)

(हरिनारायण)
प्रबन्धक

2. इस चैरिटेबल ट्रस्ट का संविधान—

इस ट्रस्ट का नाम परमहंस पब्लिक स्कूल (पी०पी०एस०) होगा जिसका न्यायाधिकरण क्षेत्र उत्तर प्रदेश में होगा तथा पूरे भारत देश में भी विस्तृत होने योग्य होगा या भविष्य में न्यायाधिकरण क्षेत्र पूरे देश में भी हो सकता है।

3. कार्यालय—

वर्तमान में इस ट्रस्ट का कार्यालय ग्राम व पोस्ट—डुमरी स्वांगीपट्टी, थाना—हाटा, जनपद—कुशीनगर उ०प्र० पिन कोड—274206 होगा। साथ ही यह भी उपबन्धित है कि ट्रस्टीगण एक स्व घोषणा द्वारा इस कार्यालय को ऐसे किसी भी स्थान पर पुनः स्थापित कर सकते हैं जो कि ट्रस्ट के बेहतर प्रबन्धन के लिए सुविधाजनक एवं सकारात्मक हो।

4. उद्देश्य— यह ट्रस्ट बिना किसी जाति, सम्प्रदाय एवं धर्म संबंधी विभेद के सभी हित के लिए कार्य करेगी। इस ट्रस्ट का कार्य पूरे देश में—

1. परमहंस पब्लिक स्कूल (पी०पी०एस०), तकनीकी संस्थाओं को स्थापित करना तथा चलाना जैसे कि प्राईवेट (व्यक्तिगत) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (PVTITIS), पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, बी०एड० कालेज और अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थायें, समाज कल्याण के उत्थान के लिए विभिन्न क्रिया कलाप आयोजित करना जो कि समाज के लिए उपयोगी हों, तथा बाल विद्यालय, स्कूल, छात्रावास, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, वृद्धाश्रम पुस्तकालय/सूचना/सलाह केन्द्र स्थापित करना जिनका उद्देश्य शिक्षा का विस्तृत प्रसार एवं उन्नयन हो।
2. यह ट्रस्ट महिलाओं के प्रोत्साहन, महिला सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण के क्रियाकलाप आयोजित करेगी तथा लघु उद्योग क्षेत्र, कुटीर उद्योग, के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जिसका मुख्य केन्द्र बिन्दु ग्रामीण क्षेत्र में वितरण तथा प्रचार—प्रसार का रहेगा। साथ ही साथ वयोवृद्ध नागरिकों के विकास व विकलांगों के विकास के कार्यक्रम व क्रियाकलाप भी आयोजित करेगी।
3. स्वास्थ्य शिक्षा/सुविधायें एवं उपचार के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी, जैसे कि चलित हास्पिटल सेवायें, स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र, प्राथमिक उपचार केन्द्र, खोलेगी व उन्हें परिमार्जित करेगी।
4. ट्रस्ट द्वारा समाज के सभी युवा जनों के लिए उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक एवं शैक्षिक विकास के कार्यक्रम आयोजित करेगी, जैसे कि उन्हें प्रशिक्षण देना एवं प्रतियोगिता/शो/कार्यक्रम आयोजित करना साथ ही साथ नशीली दवाओं के विरोध के अभियानों को बढ़ावा देगी।
5. ग्रामीण विकास के क्षेत्रों हेतु कार्यक्रम आयोजित करेगी जैसे कि पर्यावरण परिवर्तन, भूमि रक्षा, जनसंरक्षण, किसानों को प्रशिक्षण एवं धनराशि वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम भी प्रारम्भ करेगी।
6. शारीरिक शिक्षा के सम्बन्धी सभी प्रकार के क्रियाकलाप शुरू करेगी।
7. उर्जा श्रोतों के संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि कार्यशाला, सेमिनार, कैम्प आयोजित करेगी। साथ ही वैकल्पिक उर्जा के श्रोतों जैसे कि सौर उर्जा, वायु उर्जा आदि को बढ़ावा देगी व कार्बन उत्सर्जन का स्तर घटाने का प्रयास करेगी, जिसका उद्देश्य लोगों (जन सामान्य) के जीवन को आराम देय बनाना होगा। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा मानव कल्याण करने के उद्देश्य से कार्य करेगी।

PRINCIPAL

PARAMHANS PUBLIC SCHOOL (P.P.S.)
HATA-KAPTANGANJ ROAD, BELVASUDAMA
MOHAMMADGANJ HATA, KUSHINAGAR, U.P.



परमहंस पब्लिक स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट
ग्राम व पोस्ट डुमरी स्वांगी पट्टी, हाटा, कुशीनगर (उ०प्र०)

(हरिनारायण)

8. नहरों, जल श्रोतों, तालाब खुदवाने के परिवर्धन, बांधों आदि जल श्रोतों के संरक्षण को बढ़ावा देगी। साथ ही ग्रामीण/शहरी स्वच्छ पेय जल, गुणवत्ता में सुधार, जल प्रबन्धन व जल संरक्षण के विषय में जनचेतना का प्रसार करेगी। साथ ही सफाई सम्बन्धी सेवाओं के विषय में परामर्शप्रदान करेगी व भुगतान करो व प्रयोग करो (सुलभ शौचालयों) मॉडलों के शौचालयों को सार्वजनिक स्थानों पर खुलवाने व उनके प्रबन्धन के भी प्रयास करेगी।
9. आपदा प्रबन्धन, आपदा के प्रभावों को कम करने आपदा पूर्व निपटने की तैयारी व आपदा के नुकशानों की भरपाई विषयक विभिन्न योजनायें व क्षमता वृद्धि सम्बन्धी सभी प्रकार के प्रयास करेगी।
10. समाज के निम्न वर्ग के लोगों यथा (SC/ST/OBC/BPL) के उत्थान के प्रयास करना जिससे कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके जैसे कि कौशल विकास प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा आदि साथ ही जीविकोपार्जन के उन्नयन, स्वरोजगार एवं सामुदायिक विकास के भी प्रयास करना।
11. आमजन में देश भक्ति की भावना विषयक चेतना प्रसारित करने के प्रयास करना।
12. यह ट्रस्ट वह कोई भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेगी, जो सरकार द्वारा उसे प्रदान किया जायेगा।
13. युवाओं के खेलकूद सम्बन्धी भावना जागृत करने हेतु विभिन्न खेलकूद सम्बन्धी क्रियाकलाप आयोजित करना।
14. इस प्रकार के क्रियाकलाप करना जिससे कि पर्यावरण जागरूकता में वृद्धि हो व परिस्थितिक संतुलन का परिमार्जन हो, कार्बन उत्सर्जन कम हो, वन्य जीवों की रक्षा हो एवं जानवरों की देखभाल में वृद्धि हो।
15. समाज के सभी वर्गों के लोगों में स्वास्थ्य एवं पोषण, मानवाधिकार सामाजिक न्याय आदि के विषय में जन-संचार के माध्यम से जागरूकता पैदा करना।
16. यात्रा एवं पर्यटन के विकास को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा, पर्यटन स्थलों का संतुलित व चिरपरक विकास तथा स्वास्थ्य पर्यटन को भी बढ़ावा देना, ट्रस्ट का उद्देश्य होगा। साथ ही स्थानीय हस्तकला व उससे लगे लोगों को बढ़ावा देना।
17. लोगों को रक्तदान तथा नेत्रदान हेतु प्रात्साहित व शिक्षित करना।
18. लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा सड़क दुर्घटना की दर को घटाने का प्रयास करना।
19. विद्यार्थियों के कैरियर मार्गदर्शन हेतु सेमिनार का आयोजन व विद्यार्थियों व व्यवसायिकों को मार्गदर्शन करना तथा ग्रामीण व शहरी बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
20. जनसंचार सूचना प्रौद्योगिकी, एड्स के खिलाफ संघर्ष कृषि विकास व गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी कार्य करना।
21. विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के कार्यक्रम करना, मार्गदर्शन प्रबन्धन सर्वे रिपोर्ट एवं विश्लेषण के कार्य करना। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना व विकास हेतु सहयोग प्रदान करना।
22. विभिन्न प्रकार के अभिलेख जैसे कि - पुस्तकें, पत्रिकायें, समय विशेषांक तथा अखबार पत्र प्रकाशित व वितरित करना, जिससे कि ट्रस्ट के प्रमुख उद्देश्यों की



परमहंस पब्लिक स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट
ग्राम व पोस्ट डुमरी स्वांगी पट्टी, हाटा, कुशीनगर (उ०प्र०)
(हरिनारायण)
प्रबन्धक

आवेदन सं०: 202400956006929

न्यास पत्र

वर्ष: 2024

रजिस्ट्रेशन सं०: 30

बही सं०: 4

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1200 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 580

श्री हरिनारायण,
पुत्र श्री परमहंस
ध्वसाय : सेवानिवृत्त
निवासी: डुमरी स्वांगीपट्टी तह0 हाटा जिला कुशीनगर



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 23/10/2024 एवं 01:58:29 PM बजे
निबंघन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(Signature)

दिनेश शाही प्रभारी

उप निबंधक : हाटा

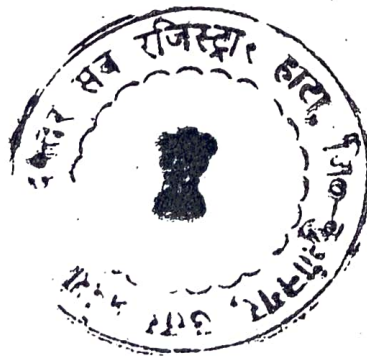
कुशीनगर

23/10/2024

कु० मोना कनिष्ठ

निबंधक लिपिक

23/10/2024



(Signature)

PRINCIPAL

PARAMHANS PUBLIC SCHOOL (P.P.S.)

ATA-KAPTANGANJ ROAD, BELVASUDAMA

HAATA, KOSHI

परमहंस पब्लिक स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट

ग्राम व पोस्ट डुमरी स्वांगी पट्टी, हाटा, कुशीनगर (जोप)

(Signature)
(हरिनारायण)
प्रबन्धक

आवेदन सं०: 202400956006929

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 30

वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजसुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री हरिनारायण, पुत्र श्री परमहंस

निवासी: डुमरी स्वांगीपट्टी तह0 हाटा जिला कुशीनगर

व्यवसाय: सेवानिवृत्त

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1



श्री असफाक अंसारी, पुत्र श्री रसीद अंसारी

निवासी: लालीपार तह0 हाटा जिला कुशीनगर

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2



श्री विजय कुमार सिंह, पुत्र श्री चोकट सिंह

निवासी: मंगलपुर तह0 हाटा जिला कुशीनगर

व्यवसाय: कृषि



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर.

दिनेश शाही प्रभागी

उप निबंधक : हाटा

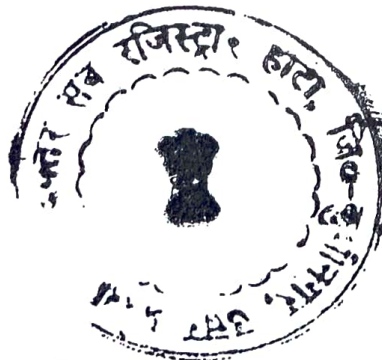
कुशीनगर

23/10/2024

क० मोना कनिष्ठ

निबंधक लिपिक कुशीनगर

23/10/2024



H/w.

PRINCIPAL
PARAMHANS PUBLIC SCHOOL(P.P.S.)
HATA-KAPTANGANJ ROAD, BELVASUDAMA
MOHAMMADGANJ, HATA, KUSHINAGAR

परमहंस पा
ग्राम व पोस्ट डु

देखभाल संस्थाओं, बाल कल्याण संस्थाओं आदि की स्थापना, प्रबन्धन व अनुदान उपलब्ध कराना।

38. अस्पताल, मेडिकल स्कूल, मेडिकल कालेज, पशुचिकित्सा के कालेज, नर्सिंग कालेज, दवाखाना, बाल कल्याण गृह मातृ देखभाल गृह आदि की स्थापना, प्रबन्धन आदि के कार्य करना।
39. पार्क, उद्यान, व्यायामशाला, खेलकूद क्लब, धर्मशाला, विज्ञान गृह आदि जो कि आम लोगों के प्रायोगार्थ होते हैं, की स्थापना, प्रबन्धन व वित्तीय सहायता प्रदान करना। साथ ही वैश्विक स्तर पर लोगों द्वारा झेली जा रही सफाई व पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं हेतु शैक्षणिक सहायता व जागरूकता फैलाना।
5. परमहंस पब्लिक स्कूल (पी०पी०एस०) का बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज—परमहंस पब्लिक स्कूल (पी०पी०एस०), हाटा—कप्तानगंज रोड, बेलवां सुदामा, हाटा, जनपद—कुशीनगर उ०प्र० के ट्रस्टी ही परमहंस पब्लिक स्कूल (पी०पी०एस०) के ट्रस्टीज जो निम्न प्रकार हैं—

क्र०सं०	नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	पता	पद
1.	श्री हरिनारायण	स्व० परमहंस	65 वर्ष	ग्राम व पोस्ट—डुमरी स्वांगीपट्टी, थाना—हाटा, जनपद—कुशीनगर पिन कोड—274206	संस्थापक / प्रबन्धक
2.	श्री अनिल कुमार	श्री हरिनारायण	36 वर्ष	ग्राम व पोस्ट—डुमरी स्वांगीपट्टी, थाना—हाटा, जनपद—कुशीनगर पिन कोड—274206	उप प्रबन्धक
3.	श्रीमती उर्मिला देवी	श्री हरिनारायण	58 वर्ष	ग्राम व पोस्ट—डुमरी स्वांगीपट्टी, थाना—हाटा, जनपद—कुशीनगर पिन कोड—274206	

1. किसी भी समय ट्रस्ट के सदस्यों की संख्या 3 से कम नहीं होगी व दस से अधिक नहीं होगी। तीन से कम होने की दशा में अतिरिक्त ट्रस्टीज नियुक्त किये जायेंगे।
2. ट्रस्ट के प्रबन्धक को अतिरिक्त ट्रस्टीज की नियुक्ति पुनः नियुक्ति या हटाने का अधिकार होगा लेकिन उसे उक्त हेतु अधिकतम 3 सदस्यों की सलाह/वोट लेना आवश्यक होगा। ट्रस्ट के प्रबन्धक को ट्रस्ट के कोषाध्यक्षों की नियुक्ति व उनके कार्यकाल को लिखित रूप से निर्धारित करने का अधिकार होगा।
3. यदि किसी ट्रस्टी की मृत्यु से सीट खाली होती है या किसी अन्य कारण से तो प्रबन्धक को उक्त रिक्त पूर्ति हेतु नये ट्रस्टी की नियुक्ति का अधिकार होगा।
4. यदि किसी रिक्त स्थान पर नये ट्रस्टी की नियुक्ति नहीं होती है तो इससे ट्रस्ट न तो अवैध माना जायेगा और न ही ट्रस्ट के द्वारा इस हेतु कोई लिया गया निर्णय/अवैध माना जायेगा।
5. ट्रस्ट के फण्ड का निर्माण, प्रारम्भिक फण्ड की आय, तथा डोनेशन व अन्य सहायतार्थ दी गयी धनराशि से निर्मित होगा।

375 10/03/18
10/03/18

PRINCIPAL

PARAMHANS PUBLIC SCHOOL (P.P.S.)
HATA-KAPTANGANJ ROAD, BELVASUDAMA
MOHAMMADGANJ HATA, KUSHINAGAR, U.J.



परमहंस पब्लिक स्कूल चैरेटेबल ट्रस्ट
ग्राम व पोस्ट डुमरी स्वांगी पट्टी, हाटा, कुशीनगर (उ०प्र०)
(हरिनारायण)
प्रबन्धक

6. ट्रस्ट में उल्लिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य किसी मद में ट्रस्ट के फण्ड का प्रयोग नहीं होगा।
7. ट्रस्टीगण फण्ड प्रयोग का पूरा लेखा तैयार करेंगे तथा उसे ट्रस्ट के कार्यालय में रखेंगे।
6. ट्रस्टीगण के अधिकार — यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्टीगण को निम्नलिखित अधिकार होंगे—
 1. बिना किसी शर्त के अनुदान, सहायता राशि (नकद या अन्य रूप में) किसी भी व्यक्ति या संस्था या ट्रस्ट से स्वीकार कर सकेंगे।
 2. यदि ट्रस्टीगण उचित समझेंगे तो अपने विवेकाधिकार से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के फण्ड का पूरा अथवा किसी अंश का प्रयोग कर सकेंगे।
 3. ट्रस्ट सम्पत्ति का स्वरूप परिवर्तन या निवेश कर सकेंगे।
 4. ट्रस्ट के फण्ड का निवेश, अंचल सम्पत्ति की नीलामी, शेयर, स्टॉक मार्केट या डिवेन्चर में करने हेतु तथा किसी भी कम्पनी, फर्म या व्यक्ति को लोन देने हेतु या एक प्रकार से निवेश का स्वरूप बदलने हेतु ट्रस्टीगण के पास विवेकाधीन अधिकार होगा।
 5. उन्हें धनराशि का भुगतान करने, उधार लेने या बिना प्रतिभूति जमा कराये या जमा कराकर उधार देने का अधिकार होगा।
 6. ट्रस्ट की सम्पत्ति (ट्रस्ट फण्ड भी शामिल है) को विक्रय करने, बदलने या छोड़ देने का अधिकार होगा।
 7. यदि ट्रस्टीगण उचित समझेंगे तो अपने विवेकाधिकार से ट्रस्ट की सम्पत्ति (ट्रस्ट फण्ड भी शामिल) को किराये पर देने, गिराने (नष्ट करने) का भी अधिकार होगा।
 8. ट्रस्ट/ट्रस्टीगण के नामों से बैंक/विभिन्न बैंकों में खाता खोलने, संचालित करने, बैंकों को निर्देश देने, एकल रूप से खाता संचालन या ट्रस्टीज द्वारा नियुक्त एजेन्ट के माध्यम से खाता संचालन का अधिकार होगा।
 9. ट्रस्ट के फण्ड से सम्बन्धित सभी प्रकार के मामलो, विधिक विवादों, क्लेम मांग, समायोजन समझौता, न्यायिक (कानूनी गतिविधियों) यथा मुकदमा आदि के नेतृत्व का अधिकार होगा।
 10. ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के हित में न्यायिक अधिवक्ता/अधिवक्तागण या एजेन्ट नियुक्त करने, उन्हें ट्रस्टीगण के बोर्ड में निहित अधिकारों के अंश या पूरा अधिकार होगा। साथ ही ट्रस्टीगण इन एजेन्टों/न्यायिक अधिवक्ताओं को समयानुसार हटा भी सकेंगे।
 11. यदि ट्रस्टीगण उचित समझेंगे तो ट्रस्ट के उचित प्रशासन हेतु किसी व्यक्ति को प्रशासक के रूप में नियुक्त करने या उक्त हेतु उपलब्ध कराने का अधिकार होगा। साथ ही ट्रस्ट के किसी निवेश का प्रतिनिधित्व करने हेतु अलग से विशेषज्ञ नियुक्त करने का भी अधिकार होगा। किन्तु उक्त नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार प्रयोग हेतु ट्रस्टीगण द्वारा विस्तृत नियम कानून रचित किये जायेंगे, जिसके अनुसार ही उक्त नियुक्तियां होगी और ये नियम कानून डीड (विलेख) में उल्लिखित उपबन्धों के अधीन होंगे।
 12. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की योजना, नियमों व कानूनों को बनाना, परिवर्तित करना या रूपान्तरित करने तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं का प्रबन्धन करना।

PRINCIPAL

PARAMHANS PUBLIC SCHOOL (P.P.S.)
 JATA-KAPTANGANJ ROAD, BELVASUDAMA
 CHARKHARDA, JATA KUSHINAGAR



परमहंस पब्लिक स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट
 ग्राम व पोस्ट डुमरी स्वांगी पट्टी, हाटा, कुशीनगर (उ०प्र०)
 (हरिनारायण)

13. आम लोगों के लाभ हेतु किसी धर्मार्थ संस्था को प्रारम्भ करने, समाप्त करने, अवरुद्ध करने, पुनः प्रारम्भ करने व उक्त संस्था द्वारा दी गयी अनुदान पर नियम शर्त लगाने का अधिकार होगा।
14. ट्रस्ट के किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के फण्ड की आय को पूरा या अंश (भाग को) अलग रखना या जारी करने का अधिकार होगा।
15. यदि ट्रस्टीगण अपने विवेकाधिकार से सही समझेंगे व ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप होगा तो उन्हें दूसरा ट्रस्ट ज्वाइन करने, उसमें सहयोग करने या उसमें विलय करने का अधिकार होगा।
16. ट्रस्ट के फण्ड की आय में से विभिन्न अन्य धर्मार्थ संस्थाओं, समितियों व संगठनों तथा ट्रस्ट को डोनेशन देना जिनके उद्देश्य ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप हो।
17. ट्रस्ट से जुड़े सभी विवाद, समझौते, सन्धि व कानूनी विवादों (मुकदमों), क्लेम मांग आदि को सुलझाने का अधिकार होगा किन्तु इनके कार्यों से सम्भावित नुकसान के लिए ट्रस्टीगण जिम्मेदार नहीं होंगे।
18. यदि ट्रस्टीगण अपने विवेकाधिकार से उचित समझेंगे तो ये ट्रस्ट के फण्ड में सम्मिलित सम्पत्ति को सेक्योरिटी (प्रतिपूर्ति) के रूप जमाकर धनराशि फण्ड उधार ले सकेंगे व इसकी नियम व शर्तें वे अपने विवेक से तय कर सकेंगे।
19. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्टीगण सरकार, सार्वजनिक इकाईयों, शहरी एवं ग्रामीण नगर पालिकाओं, नगर निगम, निगम कम्पनी आदि से अनुदान हेतु आवेदन कर सकेंगे व व्यक्ति विशेष से भी अनुदान आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकेंगे तथा उक्त हेतु उपर लिखित संगठनों से बात चीत भी उक्त विषय में कर सकेंगे।
20. ट्रस्ट के समान उद्देश्य वाली किसी भी धर्मार्थ ट्रस्ट, सम्मिलित, संगठन या संस्था को ग्रहण/अधिग्रहण कर सकेंगे या उनमें विलय कर सकेंगे।
21. अपने ट्रस्ट या समान उद्देश्यों वाली किसी दूसरी ट्रस्ट की किसी शाखा या संस्था को स्थापित करने, संचालित करने, प्रबन्धन करने, दशा सुधारने का कार्य कर सकेंगे। कार्य में सहयोग कर सकेंगे तथा सामान्य उद्देश्यों वाली किसी दूसरी ट्रस्ट में विलय, मान्यता दे सकेंगे।
22. यदि ट्रस्टीगण उपयुक्त समझेंगे तो ट्रस्ट के समान (अनुरूप) उद्देश्यों वाली किसी संस्था/संस्थाओं को खरीदने, अधिग्रहण, प्रबन्धन, नियंत्रण तथा सहायता करने का अधिकार उन्हें होगा।
23. ट्रस्टीगण यदि ट्रस्ट विलय हेतु अधिकृत है तो अन्य ट्रस्ट समितियों संस्थाओं या संगठनों की सम्पत्तियों, जिम्मेदारियों आदि को खरीदने, अधिग्रहण करने या अपने नियंत्रण में करने का अधिकार होगा।
24. यह ट्रस्टीगण का पूर्णतः विवेकाधिकार होगा कि वे ट्रस्ट को किसी अन्य समिति, निगम, संस्था, ट्रस्ट या संगठन को अपनी शर्तों के अनुसार हस्तान्तरित या दे सकेंगे तथा उक्त प्रकार के ये संगठन, संस्था या निगम या ट्रस्ट को यह हस्तान्तरण समयानुकूल व परिस्थिति के दृष्टिगत निर्मित नियम कानूनों के अधीन होगा।

7. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज—

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ट्रस्ट की सम्पत्ति को ट्रस्ट की ओर से नियंत्रण का अधिकार होगा।
2. बोर्ड, ट्रस्ट का खाता परमहंस पब्लिक स्कूल, चैरिटेबुल ट्रस्ट के नाम से खोला जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक एकल रूप से करेंगे।

PRINCIPAL

RAMHANS PUBLIC SCHOOL (P.P.S.)
A. KAPTANGANJ ROAD, BELVASUDAMA
KUNJINAGAR U.P.



परमहंस पब्लिक स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट
ग्राम व पोस्ट डुमरी खाँगी पट्टी, हाटा, कुशीनगर (उ०प्र०)
(हरिनारायण)
प्रबन्धक